तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 39/2024 चेतनराम वगैरह बनाम पवनकुमार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस **आदेश** दिनांक 27.03.2025 उपस्थिति 1. अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता श्री खेताराम सैन 2. उतरदातागण की तरफ से अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़ अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा जाजवा आईजी पटवार क्षेत्र जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा तथा मौजा केराला पटवार क्षेत्र चिड़िया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खसरास ंख्या 108, 120, 365, 498 रकबा 43.06, 21.12, 32.00, 25.11 बीघा व मौजा लोपली पटवार हल्का चिड़िया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 32 रकबा 33.11 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त आराजी के संबंध में उत्तरदातागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिंदू कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उसके बावजूद भी हस्तगत प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हम उत्तरदातागण को कोई आपति नहीं है। रिमाण्ड करते वक्त अपीलाधीन आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश साथ में ही पारित किये जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उपरोक्त विवेचन,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 157/2021 बउनवान पवनकुमार वगैरह बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित रहे। उभयपक्ष राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर